

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम- भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय हेतु भवन निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- खेड़ा
तहसील- हल्द्वानी, जिला-नैनीताल।

आम सभा बैठक प्रमाण पत्र।

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी में भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय के भवन निर्माण हेतु (0.4020 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य है० सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.4020 है० वन भूमि का भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खेड़ा द्वारा दिनांक 6/6/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खेड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा कि सत्य एवं सही है।

ग्राम विकास अधिकारी
क्षेत्र खेड़ा
वि० ख० नैनीताल (नैनीताल)

ग्राम सचिव

चन्दन नेगी

चन्दन नेगी

प्रधान

ग्राम पंचायत खेड़ा

वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)
ग्राम प्रधान


प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम- भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय हेतु भवन निर्माण।

दिनांक 6/6/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत- सुल्तान नगर, के.ए.

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
I	चन्दन सिंह बिष्ट	Chand
II	महेश चंड	Mahesh
(III)	सलीम अली	SALIM
(IV)	महेश मधवा	Mahesh
V	सलीम	SALIM
6	आलम	ALAM
7	TARA Singh	TARA Singh
8	Yogesh Bala	Yogesh
9	Ramesh Singh	Ramesh



चन्दन नेगी

प्रधान

ग्राम वसाहत ग्रामोद्धार

वि. ख. हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नाम- भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय हेतु भवन निर्माण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी हल्द्वानी।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, हल्द्वानी।

उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय के भवन निर्माण हेतु (0.4020 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.4020 है0 वन भूमि) का भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील-हल्द्वानी) की दिनांक 12/6/12 को सम्पन्न बैठक ही कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रु. पी. वाजपेई उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री रु. पी. वाजपेई उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी, अध्यक्ष।
- 2- श्री प्रमोद चन्द्र आदी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रमोद चन्द्र आदी सदस्य।
- 3- श्री उमेश चन्द्र आदी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, उमेश चन्द्र आदी सदस्य।
- 4- श्री अनिल कुमार, बी0डी0सी0 क्षेत्र, अनिल कुमार सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी हल्द्वानी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उप प्रशासनिक कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 0.4020 है0 वन भूमि भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य प्रमोद चन्द्र आदी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत उक्त प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु 0.4020 है0 वन भूमि भारतीय स्टेट बैंक को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
हल्द्वानी (नैनीताल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- हल्द्वानी,
नैनीताल।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी
हल्द्वानी (नैनीताल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- हल्द्वानी,
नैनीताल।

परियोजना का नाम- भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय हेतु भवन निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय के भवन के निर्माण हेतु 0.4020 है० वन भूमि प्रस्तावित भारतीय स्टेट बैंक को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण से किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


जिलाधिकारी
नैनीताल

Annexure-II
Form-II
(for projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Nainital

No....2.....

Dated ...12/7/17.....

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No.119/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.4020** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **State Bank Of India** for the **Construction of Administrative Office Building** in **Nainital** District falls within jurisdiction ofKheda..... village(s) in **Haldwani** tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.4020** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure- 23 to 23.3 annexure 06.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose of and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha ofKheda..... villages(s) is enclosed as annexure-23 to annexure-23.3 and Annexure II.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA;

Encl: As above

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT – NAINITAL (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Deependra Kumar Chaudhari, I.A.S. deputy commissioner, Nainital on dated12/7/17..... at time 2-00..... at Nainital in which application claiming rights in 4020 Sq. Meter/area measuring 0.4020 hectares for the **Construction of Administrative Office Building**. Forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Haldwani sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

PlaceNainital.....

Dated12/7/17.....

12/7/17
Deputy Commissioner cum chairman
District Level Committee

नैनीताल